भाग III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अगस्त, 2004

संख्या का० आ० 67/ह०अ० 12/1999/धा० 24/2004.—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12) की धारा 24 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 194अ के बाद, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"194अ. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अपने कारणों को अभिलिखित करने के बाद, तथा ऐसी शर्तें, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जिन्हें वह लगाए, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में से विद्यालय को चलाने अथवा चलाने की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति, फर्म, सोसाईटी/न्यास या संस्था या ऐसे व्यक्तियों, फर्मों, सोसाइटियों/न्यासों या संस्थाओं के वर्ग को, छूट दे सकती है।"।

एम० एल० तायल,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग।

कार्यालय अधिकक प्राइवेट स्कूल
आयुक्त एवं महानिदेशक
विद्यालय, शिक्षा हरियाणा